Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to take steps to regularise temporary employees in the country.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): महोदया, देश में बढ़ती बेरोजगारी की पृष्ठभूमि में मैं एक महत्वपूर्ण मामला सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। देश ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का होते हुए तो देखा होगा, मगर पक्के कर्मचारियों के कच्चा होने का एक उदाहरण शायद पहली बार देखा गया है।

अभी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का एक फैसला आया है, जिससे हरियाणा के लगभग पाँच हजार कर्मचारी, जिन्हें पॉलिसी बनाकर पक्का किया गया था, जिनकी अलग-अलग सरकारी महकमों में दस वर्ष की सेवा हो चुकी है, उन्हें कच्चा कर दिया गया है। उमा देवी केस में वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसके आधार पर यह फैसला दिया गया है। हरियाणा सरकार ने इसकी अच्छे से, सशक्त तरीके से उच्च न्यायालय में वकालत नहीं की। मेरी सरकार से माँग है कि वह इसके लिए एक नीति लाये। देश में वर्ष 2006 के बाद से 15 से 20 ऐसे कर्मचारी हैं, जो अलग-अलग राज्यों में कच्चे कर्मचारियों के रूप में कार्यरत हैं। जिनकी दस साल की सेवा हो चुकी है, उन्हें पक्का करने के लिए सरकार लोक सभा में एक बिल लाये और विधान सभा में भी सरकार इसके लिए पॉलिसी लाए। एलपीएस रोहतक की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके 2.5 हजार कर्मचारियों को पिछले छह माह से वेतन नहीं मिला है। जो एनपीए नीति आई है, उसके तहत इन्साल्वेंसी पेन्डिंग प्रोसिडिंग्स चल रही हैं। सरकार इस एनपीए पॉलिसी में यह सोचे कि जब इस नीति के अन्तर्गत किसी कंपनी के ऊपर प्रोसिडिंग चलेगी, उसका कोई लेकुना होगा, तो उसके कर्मचारियों का क्या होगा। इस कंपनी के जिन 2.5 हजार कर्मचारियों को पिछले छह माह से वेतन नहीं मिला है, सरकार को उन कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।